आजीवन हैल्थ कार्ड जारी करवाने के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से आजीवन हैल्थ कार्ड जारी करवाने के नाम पर करोड़ों रूपए की ठगी के खेल का विधाधर नगर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल सीजीएचएस विभाग के एलडीसी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बदमाश अब तक 146 लोगों को ठग चुके हैं, यह गोरखधंधा पिछले कई सालों से चला रहे थे। अब पुलिस सीजीएचएस विभाग में कार्यरत अन्य अफसरों व कार्मिकों की भूमिका जांचने में जुटी है।

डीसीपी (नॉर्थ) परिस देशमुख ने बताया गिरफ्तार आरोपित शम्भू (26) हरियाणा के रोहतक में गांव जिन्दाराण का रहने वाला है, जो कि सीजीएचएस विभाग कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात है। जबकि इसके साथी प्रदीप कुमार (26) निवासी जेपी कॉलोनी, शास्त्री नगर को भी गिरफ्तार किया है। इस गबन के संबंध में मीता भसीन अतिरिक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय ने 20 सितम्बर को थाने में मामला दर्ज करवाया था।

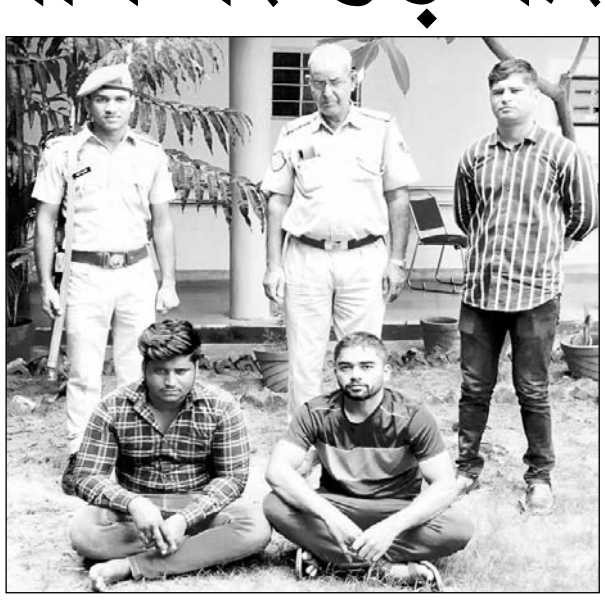

विद्याधर नगर पुलिस ने ठगी के आरोपी सीजीएचएस विभाग के एलडीसी और उसके साथी को गिरफ्तार किया।

विद्याधर नगर एसएचओ वीरेंद्र कुरील ने बताया गिरफ्तार एलडीसी शम्भू सीजीएचएस हैल्थ कार्ड शीट पर कार्य करता था। उसका कार्य आवेदकों से हैल्थ कार्ड जारी करवाने के दस्तावेज प्राप्त कर उन कागजातों को सत्यापन के लिए संबंधित के पास भेजता था। सत्यापन के बाद हैल्थ कार्ड का डाटा अपडेट कर प्रोविजनल हैल्थ कार्ड जारी कर आवेदकों को देता था। शम्भू पूर्ण राशि की कूटरचित रसीद जारी कर प्रोविजनल हैल्थ कार्ड बना आवेदकों को दे देता था और जो नकद लेन-देन के रूपए आते थे, उन्हें अपने साथी प्रदीप कुमार जो बाहर एक डेयरी पर बैठकर सीजीएचएस कार्ड के लिए भारत कोष में राशि प्राइवेट रूप से जमा कराता था और उसी माध्यम से राशि लेता था। आरोपित कई वर्षों से धोखाधड़ी का यह खेल चला रहे थे और अब तक 146 लोगों से ऐसे ही धोखाधड़ी कर करोडों रूपयों का गबन कर चुके है। हैल्थ कार्ड जारी के लिए चार लेवर है, जिसके तहत आजीवन कार्ड जारी करवाने के लिए 30 हजार, 54 हजार, 78 हजार और 1.20 लाख रुपए भारतकोष में जमा करवाने होते थे। वार्षिक हेल्थ कार्ड के लिए 10 प्रतिशत रकम जमा करवानी होती है। उक्त कार्ड जारी करवाने के लिए आवेदको को ऑनलाइन रकम भारतकोष में जमा करवानी होती है। आरोपी शम्भु हेल्थ कार्ड जारी करवाने वाले आदेवकों से संपर्क कर भारतकोष में जमा करवाने वाली रकम अपने बैंक अकाउंट और केश लेने लग गया। प्रदीप के जरिए रकम लेकर भारतकोष में जमा करवाकर आजीवन रकम जमा की फर्जी रसीद जारी कर देता। विभाग की ओर से कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता। इलाज आदि में परेशान होने पर लोगों ने शिकायत की।

- **सीजीएचएस विभाग के एलडीसी और उसके साथी ने की 146 लोगों से धोखाधड़ी**
- **पिछले कई सालों से गोरखधंधा चला रहे थे दोनों आरोपी, अब पुलिस के हत्थे चढ़े**

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते : राठौड़

'गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव से इंकार यही दर्शाता है'

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिये वक्तव्य से राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता का भयंकर दौर और प्रारंभ हो गया है। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से माफी मांगना उनकी अक्षमता को प्रदर्शित कर रहा है।

राठौड़ ने कहा कि सोनिया गांधी व अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद सियासी संकट के दौर से गुजर रहे राजस्थान के ऊपर संकट के बादल छंटने की बजाय और ज्यादा गहरा गये हैं। आलाकमान को कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों ने पहले ही इस्तीफा देकर ललकार रखा है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर कांग्रेस विघटन की ओर जा रही है। राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव से इंकार करना यह दर्शाता है कि वह मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद का निर्णय सोनिया गांधी पर छोड़ने की बात कहकर अशोक गहलोत जनता को भ्रमित करना चाहते हैं जिसमें वह सफल नहीं होंगे क्योंकि जनता उनकी मुख्यमंत्री पद के प्रति लालसा व मंशा को भली-भांति समझ चुकी है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद को कांग्रेस का वफादार सिपाही बताते हुए प्रस्ताव पारित नहीं कराने की नैतिक जिम्मेदारी लेने का बयान देकर एक तरह से पूरे घटनाक्रम से पल्ला तो झाड़ लिया है लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अब एक बार फिर राजस्थान में आलाकमान के भेजे दूत के प्रस्ताव को वो पास करवाएंगे या फिर एक बार फिर से उन्हें अपने कारिंदों के द्वारा बेइज्जत करके वापिस भेजेंगे।

राठौड़ ने कहा कि दुर्भाग्य है कि इस्तीफा देने वाले मंत्री अभी भी तबादला उद्योग में लिप्त होकर दनादन स्थानांतरण सूचियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि कुर्सी के मोह में उलझी कांग्रेस सरकार में अंतर्कलह इस कदर चरम पर है कि कांग्रेस नेता जनता को भगवान भरोसे छोड़कर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त है।

- **'अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से माफी मांगना उनकी अक्षमता को प्रदर्शित कर रहा है'**

प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई प्रवेश नहीं देने पर शिक्षा सचिव तलब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों के बावजूद प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव को बीस अक्टूबर को तलब करते हुए उन्हें अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने आदेश अभ्युथानम सोसायटी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिकॉल प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं को राज्य सरकार की ओर से मान्यता नहीं दी गई है। वहीं खंडपीठ ने अंतरिम रूप से प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश के आदेश दिए हैं। यह आदेश फाइनल आदेश की प्रकृति का है। ऐसे में इस आदेश को वापस लिया जाए। इस पर अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट ने दो बार अंतरिम आदेश देते हुए प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश देने को कहा था और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी याचिका खारिज कर चुका है। ऐसे में पालना की बजाए राज्य सरकार रिकॉल प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। यह अवमानना का मामला है, इसलिए शिक्षा सचिव मामले में स्पष्टीकरण दें। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2021 और 23 मई 2022 को अंतरिम आदेश देते हुए प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश देने को कहा था।

'चार सप्ताह में करें निस्तारण'

जयपुर। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों के अनुभव की सही गणना नहीं करने और अवकाश के दिनों को अनुभव में शामिल नहीं करने से जुडे मामले में चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए हैं। अदालत ने विभाग को कहा है कि वह इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश आपत्तियों का चार सप्ताह में निस्तारण करे। वहीं भर्ती में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राजेश सिंह व अन्य की 125 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए।

आरसीए के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला क्रिकेट संघ सहित अन्य जिला संघों की याचिका पर दिया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के शुक्रवार को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई तीस सितंबर को जारी रखने के आदेश देते हुए कहा है कि शुक्रवार को होने वाले चुनाव पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला क्रिकेट संघ सहित अन्य जिला संघों की याचिका पर दिए। याचिका में आरसीए चुनाव करवाने के लिए राज्य के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे रिटायर आईएएस रामलुभाया की मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी गई है। जिला संघों का कहना है कि रामलुभाया के मुख्य चुनाव अधिकारी रहने के चलते आरसीए चुनाव में राजनीतिक दखल रहेगा और चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व आईएएस रामलुभाया को गत 13 मार्च को प्रदेश के जिलों के लिए बनाई गई हाई पावर समिति का चेयरमैन बनाया है। इस कमेटी का सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री के पास है। वहीं गत आठ सितंबर को रामलुभाया को आरसीए के चुनाव करवाने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है। सीएम के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के मौजूदा अध्यक्ष हैं और आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने आरसीए के मौजूदा अध्यक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कई जिला संघों की मतदाता सूची से छेड़खानी की है और अवैध तरीके से मतदाता सूचियां बनाई हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने उनके चुनाव अधिकारी बनाए जाने पर उनके समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया। ऐसे में याचिका के निस्तारण तक आरसीए चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके विरोध में आरसीए की ओर से कहा गया कि वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे होने के साथ-साथ अपना अलग व्यक्तित्व भी रखते हैं और उनकी अपनी अलग पहचान है। केवल सीएम की संतान होने की वजह से उन पर आरोप लगाया जाना गलत है। आरसीए की ओर से कहा गया कि बीसीसीआई के सचिव पद पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी हैं, तो क्या उन्हें भी बीसीसीआई का सचिव बनाने के लिए राजनीतिक दखल दिया गया है? ऐसे आरोप तो बीसीसीआई पर भी लग सकते हैं। इसलिए केवल सीएम का पुत्र होने की वजह से राजनीतिक दखल का आरोप लगाते हुए दायर याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है।

वहीं दौसा क्रिकेट संघ के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय ने न्यायालय को बताया कि आरसीए में चुनाव हेतु रामलुभाया पूर्व आईएएस को चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव अधिकारी नियुक्त किया, यह चुनाव अधिकारी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहे थे। चुनाव अधिकारी ने आरसीए की वोटर लिस्ट में अधिकृत दौसा जिला क्रिकेट संघ से सचिव बृजकिशोर उपाध्याय का नाम हटा दिया।

जबकि उपाध्याय ने आरसीए के 2017 के चुनाव में वोट डाला था और आरसीए के चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जो भी ऑबजेक्शन आए थे, तत्कालीन चुनाव अधिकारी ने उन ऑबजेक्शनों का निराकरण करते हुए दौसा जिला क्रिकेट संघ से सचिव बृजकिशोर उपाध्याय को अधिकृत माना था और फाइनल वोटरलिस्ट में नाम फाईनल किया था। उसके बाद से आज तक कोई भी न्यायालय या सक्षम अधिकारी का कोई ऑर्डर उपाध्याय के खिलाफ नहीं था। जिससे कि आरसीए के चुनाव 2022 की वोटरलिस्ट से दौसा जिला क्रिकेट संघ से बृजकिशोर उपाध्याय सचिव का नाम हटाया जा सके। चुनाव अकिारी ने द्वेषतापूर्ण और आरसीए के दबाव में चुनाव 2022 की वोटरलिस्ट से उपाध्याय का नाम हटाया।

- **इसके विरोध में आरसीए की ओर से कहा गया कि वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे होने के साथ-साथ अपना अलग व्यक्तित्व भी रखते हैं और उनकी अपनी अलग पहचान है। केवल सीएम की संतान होने की वजह से उन पर आरोप लगाया जाना गलत है**

खान निदेशक की कुर्सी पर अब जूनियर अफसरों को बिठाने की तैयारी?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । उदयपुर के खान निदेशक के.बी.पांड्या (आईएएस) शुक्रवार को सेवानिवृत होंगे। उनका चार्ज किसी आईएएस अफसर को देने के बजाय अब खनन विभाग के जूनियर अफसरों को सौंपने की तैयारी चल रही है। इस कुर्सी को लेकर विभागीय अफसरों और आईएएस के बीच खींचतान भी चल रही है।

सूत्रों की मानें तो प्रदेश के खनन क्षेत्रों में लगातार घोटाले उजागर होने के बाद पिछले 4-5 सालों से उदयपुर के खनन निदेशक के पद पर आईएएस अधिकारियों को ही लगाया जा रहा है। वर्तमान में कुंजबिहारी पांड्या इस पर पद अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुक्रवार को उनकी सेवानिवृति है, ऐसे में अब खनन विभाग के जूनियर अफसर अपनी सांठगांठ लगाकर हर हाल में इस कुर्सी को पाने की कोशिशों में जुए है।

खनन विभाग के सूत्रों के मुताबिक उदयपुर खनन निदेशक की कुर्सी पर उन जूनियर अफसरों को बिठाने की तैयारी चल रही है, जो कि दागी भी और हाल ही में पदोन्नत हुए है। जबकि सीनियर अफसरों के अनुभव को दरकिनार करके उन्हें एपीओ (आदेशों की प्रतीक्षा में) बैठा रखा है। यह वरिष्ठ अधिकारी इस बात का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपये के खनन घोटाले उजागर करके राज्य सरकार को राजस्व का चूना लगने से बचाया। अब जैसे ही खनन निदेशक के पद पर आईएएस अधिकारी के बजाय जूनियर विभागीय अफसरों को चार्ज सौंपने की बात चली तो सीनियर अफसरों में इसे लेकर नाराजगी उभर आई है। हालांकि कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि खनन निदेशक के जिम्मेदार पद पर या तो सीनियर अफसरों को मौका मिले, अन्यथा आईएएस अफसरों को ही इस पर लगाया जाये। जूनियर और दागी अफसरों के नीचे कोई भी वरिष्ठ अधिकारी काम नहीं करेगा।

- **फिलहाल आईएएस के.बी.पांड्या के पास है जिम्मेदारी, लेकिन आज सेवानिवृति के बाद रिक्त हो जायेगा पद**
- **सूत्रों की मानें तो फिलहाल कई वरिष्ठ खनन अफसर इसलिए एपीओ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में 8-10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले उजाकर करके सरकार को राजस्व का नुकसान होने से बचाया**

रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन द्वारा राज्य सरकार कर्मचारियों के अनुरूप रोड़वेज कर्मचारियों व अधिकारियों एवं पैंशनर्स के महंगाई भत्ते मे 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

रोडवेज मुख्यालय से आज जारी आदेशानुसार रोडवेज कर्मचारियों व अधिकारियों एवं पैंशनर्स के 4 प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है। रोडवेज कर्मचारियों को बढे हुये महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई, 2022 से देय होगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया था।

इंटेलिजेंस ने कलेक्टर और एसपी को अलर्ट किया

जयपुर (कासं)। केन्द्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर बैन के बाद राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने राज्य के कलेक्टर-एसपी को सतर्क रहने और उपद्रव की आशंका लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिये हैं।

सूत्रों की मानें तो पीएफआई पर बैन करने के बाद एक रिपोर्ट राज्य सरकार को केन्द्र को देनी है। जिसमें जमीन और बिल्डिंग को लेकर बताना होगा कि ये जगह को किसने दी और कब से दी। संभवत: केन्द्र सरकार जमीन और बिल्डिंग को लेकर भी कोई कार्रवाई कर सकती है। निगम और नगर परिषद से इसकी जानकारी मांगी जा रही है।

इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत, उसके सहयोगियों, मोर्चों को गैर कानूनी संघ घोषित करने के बाद अलर्ट जारी किया है। इसके बाद हमने सभी जिला कलेक्टर-एसपी को उपद्रव पर रोक लगाने के बारे में सतर्क रहने को कहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 22 सितंबर को जयपुर में पीएफआई के कार्यालय और कोटा व बारां जिलों में संगठन से जुड़े लोगों के आवास और ठिकानों की तलाशी ली थी। उसी दिन दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जयपुर में मोतीडूंगरी रोड स्थित पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी कर दस्तावेज व डिजिटल सबूत जब्त किए थे।

- **पीएफआई पर बैन से उपद्रव की होने की आशंका को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है**
- **'राज्य सरकार पीएफआई की बिल्डिंग और जमीन सर्च करके केन्द्र को रिपोर्ट सौंपेगी'**

प्रो. छीपा ने राज्यपाल मिश्र से भेंट की

जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,भोपाल के पूर्व कुलपति प्रो. मोहनलाल छीपा ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की तथा समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक पं दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या भी भेंट की। प्रो. छीपा ने राज्यपाल से धानक्या स्थित पं दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रीय स्मारक के प्रचार-प्रसार एवं विकास के संदर्भ में अनेक बिंदुओं पर चर्चा की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर समिति द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित करने और राष्ट्रीय स्मारक पर पुस्तक प्रकाशन पर शुभकामनाएं प्रेषित की।

सरकारी अस्पतालों का कल से समय बदलेगा

जयपुर,(कासं)। प्रदेश में एक अक्टूबर से सभी सरकारी हॉस्पिटल व डिस्पेंसरी में मरीजों को देखने के समय में बदलाव किया जा रहा है। सर्दी सीजन की शुरुआत को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद एक अक्टूबर से अस्पताल में ओपीडी का समय सुबह 8 के बजाए 9 बजे से होगा।

एसएमएस अस्पताल में 1 अक्टूबर से कार्य दिवस पर ओपीडी में मरीजों को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर देखेंगे। जबकि सरकारी छुट्टी और रविवार के दिन ओपीडी का समय सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंद्व अस्पताल जेके लोन, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय, जनाना, गणगौरी और कावंटिया अस्पताल में भी यही समय रहेगा। यह समय अगले साल 31 मार्च तक रहेगा।

इसके अलावा जिला अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी चिकित्सा विभाग ने ओपीडी के समय में बदलाव करते हुए आउटडोर एकल पारी में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने का निर्णय किया है।

- **ओपीडी में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक देखेंगे डॉक्टर**
- **छुट्टी के दिन 2 घंटे की रहेगी ओपीडी**

खोया पाया

मेरे प्लॉट जो सनसिटी प्रोजेक्ट, कूकस जयपुर स्थित है उसकी मूल रसीद नं. 0649, Application No. SUN/KUK/0283 Priority No. 0283, दिनांक 28.12.2012 कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें- हरीश मोतियानी, 457, आदर्श नगर, जयपुर, मोबाईल 9001490083

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम नितेश सैनी से बदलकर दिशान्त सैनी (Deeshant Saini) पुत्र श्री राधा मोहन सैनी रख लिया है भविष्य में मुझे दिशान्त सैनी के नाम से जाना पहचाना जावे। पता- A-68, न्यू सांगानेर रोड, राधाविहार श्याम नगर, सोडाला, जयपुर

संस्कृत विवि. में प्रवेश 30 तक

जयपुर। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रो. सुधी राजीव के निर्देश से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी 30 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी कुलसचिव डॉ. जेएन विजय ने दी।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दूरदर्शन जयपुर में हिन्दी पखवाड़े का समापन

जयपुर, (का.सं.)। दूरदर्शन केन्द्र जयपुर में हिन्दी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध कला समीक्षक एवं कवि डॉ. राजेश कुमार व्यास ने भाग लिया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने इस अवसर पर कहा कि हिंदी हमारी मौलिक अभिव्यक्ति की भाषा है जिसका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर रकहा कि सरकारी कार्यालयों में ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है जो एक शुभ संकेत है। सांसद बोहरा ने दूरदर्शन केंद्र में हिन्दी के कामकाज की प्रशंसा की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री हिन्दी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण भागीदारी प्रयास कर रहे हैं।

इस अवसर पर केन्द्र के प्रांगण में सांसद जयपुर रामचरण बोहरा से वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिन्दी के विकास में लोक प्रसारण माध्यमों की भूमिका विषय पर हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध कवि एवं कला समीक्षक डॉ. राजेश कुमार व्यास ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।

दूरदर्शन केंद्र जयपुर के हिन्दी पखवाड़े के समापन पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने पौधारोपण किया।

आरजीएचएस योजना के लिए अतिरिक्त बजट

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधाओं के भुगतान हेतु 500 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है। यह राशि आगामी अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर के लिए स्वीकृत की गई है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1045 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। इस राशि का पूर्ण व्यय विभाग द्वारा किया जा चुका है। इसी क्रम में गहलोत द्वारा आरजीएचएस योजना के लिए आगामी तीन महीनों के लिए 500 करोड़ रूपए की वित्तीय मंजूरी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि आरजीएचएस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनधारियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है।

आम सूचना दि. 30.09.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण जगदीश यादव पुत्र रामप्रताप यादव एवं श्रीमती छोटी देवी पत्नी जगदीश यादव निवासीगण फ्लेट नं. जी.एफ.-20 राजीव आवासीय योजना, कीरो की ढाणी, हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) का पुत्र लेखराज यादव मेरे अभिभाष्यगण से अलग रहता है तथा उसका व्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के प्रति ठीक नही है तथा वो गलत संगत मे है इसलिए मेरे अभिभाष्यगण ने अपने उक्त पुत्र लेखराज यादव को अपनी चल अचल सम्पत्ति व अपने जीवन से बेदखल कर दिया है अब मेरे अभिभाष्यगण का अपने उक्त पुत्र से किसी प्रकार का कोई लेना देना व रिश्ता नही है। मेरे अभिभाष्यगण के उक्त पुत्र लेखराज यादव से कोई भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का लेन देन व संव्यवहार किया है और करता है तो वह स्वंय जिम्मेदार व उत्तरदायी होगा। मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

भवदीय

खेमचन्द सैनी (एडवोकेट) मो.नं. 9351717175

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

Email Id :dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772

क्रमांक-DHC-II/1762 दिनाक-29.09.22

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 11/13, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री बी.के.मित्रा पुत्र श्री के.सी.मित्रा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 258 दिनांक 21.01.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 04.04.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2567 दिनांक 24.02.2004 के द्वारा श्री बी.के.मित्रा पुत्र श्री के.सी.मित्रा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 28.12.2004 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बी.के.मित्रा की मृत्यु दिनांक 03.09.2022 को हो जाने के कारण इनका पुत्र श्री मोहित मित्रा पुत्र स्व. श्री बी.के.मित्रा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री मोहित मित्रा पुत्र स्व.श्री बी.के.मित्रा के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री मोहित मित्रा पुत्र स्व.श्री बी.के.मित्रा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं.6223/22

विषयः-उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

प्रार्थी-नाम परमजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति...विवाद स्थान 5ट19, सेक्टर-5 शेर सिंह का चौराहा जवाहर नगर जयपुर मृतक सुरजीत सिंह पुत्र श्री शेर सिंह की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक 2.11.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम सुरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह जाति सरदार निवासी 5ट19 सेक्टर- 5 शेरसिंह का चौराहा जवाहर नगर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 2 माह 11 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 19 माह 9 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम

मोहर अदालत

जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम